संख्या- 2/2022- 02 /पचास-यु0क0-2022-102(पीवीडी)/1988,

प्रेषक,

आनन्द कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

महानिदेशक,
प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल
एवं युवा कल्याण, उ0प्र0,लखनऊ

युवा कल्याण अनुभाग: लखनऊ : दिनांक 06 जनवरी, 2022

विषय- प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयं सेवकों की ड्यूटी भत्ता में बढ़ोत्तरी ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2063/दो-86/प्रा0वि0द/1992(1), दिनांक 04 जनवरी, 2022 तथा शासनादेश संख्या-417/पचास–यु0क0-2019-102(पीवीडी)/1988, दिनांक 08 मार्च,2019 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रादेशिक विकास दल/प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों को सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2019 द्वारा प्रति स्वयंसेवक प्रतिदिन निर्धारित ड्यूटी भत्ता की दर रू. 375/- से बढ़ाकर रू. 395/- प्रतिदिन प्रति स्वयंसेवक निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2- उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित दर शासनादेश निर्गत होने की तिथि से लागू होगी। इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-1425/पचास-यु0 क0-2013- 102 (पीवीडी)/ 1988, दिनांक12 नवम्बर, 2013 की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(आनन्द कुमार सिंह)
विशेष सचिव

संख्या -2/2022- 02 (1) /पचास-यु0क0-2022-102(पीवीडी)/1988, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- समस्त जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश,
4- समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अपरजिलाधिकारी(विकास)/जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश,
5- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश,
6- समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश,
7- समस्त उप निदेशक, युवा कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश,
8- समस्त जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, उत्तर प्रदेश,
9- वित्त (व्यय-नियत्रण) अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन ,
10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(फलेन्द्र पाल सिंह राठौर)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।